रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 6, 1990 (आश्विन 14, 1912)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 6, 1990 (ASVINA 14, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोडकर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	667
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोडकर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1147
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1619
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	979
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1049
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2663
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	149
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	667
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1147
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1619
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC (iii)—Authoritative text in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the *Gazette of India*) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	979
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1049
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2663
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	149
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi	*

* Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितम्बर 1990

सं० 78-प्रेज/90— राष्ट्रपति निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री डी० जे० कुलकर्णी,
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी,
बम्बई दमकल वाहिनी,
बायकुल्ला,
बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

24 जुलाई, 1989 को रात के 11 बजकर 4 मिनट पर नरीमन प्वाइंट बम्बई की एक बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग, डालमल हाउस में भयानक आग लग गई। आग भवन की पांचवी मंजिल पर लगी और उस समय 70 किलोमीटर प्रति घन्टे की रफ्तार से चल रहे चक्रवातीय मौसम के कारण पूरी मंजिल पर फैल गई। आग की लपटें पांचवी मंजिल से ऊपर की ओर बढ़ रही थीं तथा वहां रहने वाले जो इससे बेखबर थे, उस गहरे धुएं में फंस गए और सीढ़ियों में, जो बच निकलने का एक मात्र रास्ता था, असहनीय तपस व्याप्त थी। जैसे ही आग ऊपरी मंजिलों में फैलनी शुरु हुई वैसे ही स्थिति ने भयंकर रूप धारण कर लिया। कारबोनेसिस, पी०वी०सी० सामग्री आदि के जलने से ज्वलनशील गैसों के निकलने के कारण जो विध्वंसक मिश्रण बन रहा था उससे ऊपरी मंजिलों में विस्फोटों का खतरा सन्निकट दिखाई दे रहा था। पांचवी मंजिल पर रहने वालों में बहुत शोरगुल था और वे सहायता के लिए चीख और चिल्ला रहे थे। अधिकांश फंसे हुए व्यक्ति अधिक धुआं होने के कारण सांस तक लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

बम्बई अग्निशमन सेवा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी, श्री डी० जे० कुलकर्णी, दुर्घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल पर पहुंच गए। भवन में रहने वालों की भयानक एवं करुणात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने तत्काल अपने अग्नि शमन बचाव कार्य की योजना बनाई तथा अपने अधिकारियों और व्यक्तियों की नेक सहायता से योजना को निष्पादित किया। उनके आदेशानुसार टर्नटेबल चेतावनी सिग्नल की उपेक्षा करते हुए खिड़कियों से घुमराली और भयंकर अग्नि की लपटों के बीच में सीढ़ी को इसकी पूरी ऊंचाई तक बढ़ाया गया। अस्थाई और झूलती हुई टर्नटेबल सीढ़ी श्री कुलकर्णी का किसी भी क्षण गिरा सकती थी। तथापि श्री कुलकर्णी ने सीढ़ी के इधर-उधर घूमने को पहली बार कामचलाऊ तरीके से नियंत्रण में किया। भारी विषमताओं के बावजूद, श्री कुलकर्णी अपने अन्य अधिकारी के साथ 10वीं मंजिल की खिड़की से 10वीं मंजिल पर पहुंचे और 10वीं मंजिल की उस ऊंचाई से उस मंजिल पर रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर लाए। इतनी विषमताओं के विपरीत श्री कुलकर्णी और उनके अधिकारियों और व्यक्तियों ने जीवन को खतरे में डालकर फंसे हुए व्यक्तियों को जीवित बचा लिया। 3½ घन्टे की इस प्रक्रिया के दौरान जबकि पानी के जैट तकनीकी आधार पर इतने ज्यादा विकसित नहीं थे। श्री कुलकर्णी सांस लेने वाले उपकरण लेकर एवं सुरक्षात्मक वस्त्र पहनकर अपने अधिकारियों और व्यक्तियों सहित अग्नि से प्रभावित मंजिल पर पहुंच गए और अग्नि पर सफलतापूर्वक नियन्त्रण कर लिया और इस प्रकार इससे सम्पत्ति की हानि कम हुई। कुशल बचाव और तन्मयता से अग्नि पर काबू पाने की इस सफलता, समर्पण एवं अनुकरणीय साहस ने जनता एवं सरकार की प्रशंसा प्राप्त की।

इस घटना में श्री डी० जे० कुलकर्णी ने एक आदर्श योग्यता प्रमाणित की और उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का अग्नि-शमन सेवा पदक के नियम 3(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5(क) के अन्तर्गत आर्थिक भत्ता भी दिनांक 24 जुलाई 1989 से दिया जायेगा।

सं० 79-प्रेज/90—राष्ट्रपति निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्नि-शमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ए० डी० खंडवाल,
प्रभागीय अधिकारी,
बम्बई फायर ब्रिगेड,
फायर ब्रिगेड मुख्यालय,
बायकुल्ला,
बम्बई।

श्री शरद पांडुरंग दलवी,
सहायक प्रभागीय अधिकारी,
बम्बई फायर ब्रिगेड,
फायर ब्रिगेड मुख्यालय,
बायकुल्ला,
बम्बई।

श्री रामचन्द्र डागडू भोसले,
ड्राइवर आपरेटर,
बम्बई फायर ब्रिगेड,
फायर ब्रिगेड मुख्यालय,
बायकुल्ला,
बम्बई।

श्री विद्याधर मनोहर मंजरेकर,
फायरमैन,
बम्बई फायर ब्रिगेड,
फायर ब्रिगेड मुख्यालय,
बायकुल्ला,
बम्बई।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :

24 जुलाई, 1989 की रात के 11 बजकर 1 मिनट पर नरीमन प्वाइंट बम्बई की एक बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग, डालमल हाउस में एक भयानक आग लग गई। आग भवन की पांचवीं मंजिल पर लगी और उस समय 70 किलोमीटर प्रति घन्टे की रफ्तार से चल रहे चक्रवातीय मौसम के कारण पूरी मंजिल पर फैल गई। आग की लपटें पांचवी मंजिल से ऊपर की ओर आगे बढ़ रही थी तथा वहां रहने वाले जो इसस बेखबर थे, उस गहरे धुएं में फंस गए और सीढ़ियों में जो बच निकलने का एक मात्र रास्ता था, असहनीय तपस व्याप्त थी। जैसे ही आग ऊपरी मंजिलों में फैलनी शुरू हुई वैसे ही स्थिति ने भयंकर रूप ले लिया। कारबोनेसियस, पी०वी०सी० सामग्री आदि के जलने से ज्वलनशील गैसों के निकलने के कारण जो विध्वंसक मिश्रण बन रहा था उसमें ऊपरी मंजिलों में विस्फोटों का खतरा सन्निकट दिखाई दे रहा था। पांचवी मंजिल पर रहने वालों में बहुत शोरगुल था और वे सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अधिकांश फंसे हुए व्यक्ति अधिक धुआं होने के कारण सांस तक लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

बम्बई के फायर ब्रिगेड, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, श्री डी०जे० कुनकणा के नेतृत्व कमान्ड और कुशल मार्गदर्शन में सभी उपर्युक्त अधिकारियों ने आग बुझाने में और फंसे हुए लोगों को बचाने में सफलतापूर्वक उदाहरणीय साहस का प्रदर्शन किया।

जब आग पांचवीं मंजिल से ऊपर की मंजिलों में खड़ी हुई बल्लियों के माध्यम से जाने शुरू हुई तो जो अति-आवश्यक कार्य सबसे पहले किया गया था वह था पानी की नलियों से आग की सीढ़ों को बुझाना। श्री अड़वाल, प्रभागीय पुलिस अधिकारी जो श्री विद्याधर मनोहर मंजरेकर, फायरमैन को अग्निशमन क्षमताओं को जानते थे, उनको साथ लेकर बचावकारी वस्त्र और सांस लेने वाले यंत्र लेकर भयंकर गर्मी, धधकती हुई लपटों और घने धुए के होने हुए भी साहसपूर्वक पांचवी मंजिल में प्रवेश कर गए। श्री अड़वाल ने श्री मंजरेकर की सहायता से पांचवीं मंजिल की जलती हुई लपटों की ओर पानी की नलियों को किया और जलती हुई इन्टरनल को श्री अड़वाल और श्री मंजरेकर द्वारा पानी की नलियों से $3\frac{1}{2}$ घन्टे के आक्रमण के पश्चात् सफलतापूर्वक ठंडा किया जा सका, जिससे आग अन्य मंजिलों में नहीं फैल सकी और इससे सम्पत्ति की हानि होने में कमी हुई। श्री अड़वाल और श्री मंजरेकर दोनों ने आग बुझाने के कार्य में वास्तविक कौशल और पक्के इरादे का प्रदर्शन किया।

श्री शरद पांडुरंग दलवी, सहायक प्रभागीय अधिकारी जो घटनास्थल पर अपने दल के साथ टर्नटेबल लेडर (डी० एल० 50) पर पहुंचे, उन्होंने 10वीं मंजिल पर रहने वालों की दयनीय दशा देखी जो सहायता के लिए निराशापूर्वक हाथ हिला रहे थे और चिल्ला रहे थे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी से, फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए बचाव कार्य करने के आदेश मिलने पर श्री दलवी ने टर्नटेबल लेडर ऊबड़-खाबड़ सतह पर लगा दी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ 10वीं मंजिल पर गए और बड़े ही नाजुक बचाव कार्य किए, इसमें उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतनी थी, चूंकि थोड़ी सी भी अस्थिर हरकत से उनकी जान जा सकती थी इस कार्य में श्री रामचन्द्र डागडू भोसले, टर्नटेबल लेडर के ड्राइवर आपरेटर ने तंग स्थान में सही ढंग से सीढ़ी लगाने और पिंजरे को शारीरिक शक्ति से चलाने में तत्काल निर्णय लेने में उत्तम कार्य किया। जब यह नवीं मंजिल पर लगाई गई और इससे न केवल फंसे हुए व्यक्तियों की जानें बचीं बल्कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी और श्री दलवी, सहायक प्रभागीय अधिकारी को गम्भीर स्थिति से बाहर निकालने में भी मदद मिली।

इस घटना में श्री ए० डी० अड़वाल, श्री शरद पांडुरंग दलवी, श्री रामचन्द्र डागडू भोसले और श्री विद्याधर मनोहर मंजरेकर ने अनुकरणीय आचरण स्थापित किया और वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक अग्निशमन सेवा पदक के नियम 3(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5(क) के अन्तर्गत आर्थिक भत्ता दिनांक 24 जुलाई, 1989 से दिया जायेगा।

दिनांक 12 सितम्बर, 1990

सं० 80-प्रेज/90 शुद्धिपत्र—"वायुसेना मेडल" प्रदान करने के संबंध में 12 मई, 1990 के भारत के राजपत्र के भाग I—खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की 26 जनवरी, 1990 की अधिसूचना सं० 38-प्रेज/90 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

पृष्ठ—2 की क्रम सं० 20 में

400627—एच मास्टर वारंट अफसर रामास्वामी गोविन्दराजन फ्लाइट सिगलर

के स्थान पर

400627—एच मास्टर वारंट (आनरेरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट) रामास्वामी गोविन्दराजन, फ्लाइट सिगनलर

पढ़ें

दलीप सिंह जगोता, राष्ट्रपति का उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1990

सं० 4/1 पी०यू०/90—राज्य सभा के संसद सदस्य श्रीमती रेणुका चौधरी और श्री महेन्द्र सिंह लाठर को 31 अगस्त, 1990 से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की शेष अवधि के लिए श्री वीरेन्द्र वर्मा के राज्यपाल नियुक्त होने पर राज्य सभा का सदस्य न रहने और डा० जी० विजय मोहन रेड्डी के समिति से त्यागपत्र देने पर उनके स्थान पर समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

आर० एल० एल० दुबे, संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक सितम्बर 1990

सं० 10/2/90—के० से०(II)—इस विभाग की दिनांक 30-6-90 को अधिसूचना संख्या 10-2-90 के० से० (II) में नियमों की अनुसूची के भाग क की छठी पंक्ति में "उसके" तथा "संस्कृति" शब्दों के मध्य निम्नलिखित शब्द सम्मिलित किए जाएं :—

"पड़ौसी देशों के संबंध में विशेष कर इतिहास"

करतार सिंह, अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 1990

सं० 27/11/90—सी०एल०—2—इस विभाग की अधिसूचना सं० 27/26/82—सी० एल०-2—दिनांक 21-10-82 का अधिक्रमण करते हुए, तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री एस० एस० सेठ संयुक्त निरीक्षण, को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

सं० 27/11/90 सी० एल०-2—इस विभाग की अधिसूचना 27/12/84 सी०एल०-2 दिनांक 2-4-84 का अधिक्रमण करते हुए तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री आर० के० अरोड़ा संयुक्त निदेशक, निरीक्षण को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

सं० 27/11/90 सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री समीर विश्वास संयुक्त निदेशक निरीक्षण को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

दिनेश कुमार सिंह, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 1990

संकल्प

सं० 12/31/89-डैस्क सी०एच०-7—ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के विधान के नियम 5 के अनुसार, श्री राम निवास मिर्धा को उस तारीख से, जिससे वे कार्यभार संभालेंगे, पांच वर्ष की अवधि के लिए ललित कला अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सचिव, ललित कला अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-सामान्य की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अशोक कोशी, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1990

संकल्प

सं० हिंदी/समिति/90/38/1—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के दिनांक 8-8-90 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में निम्नलिखित को रेल मंत्रालय के अधीन गठित रेलवे हिंदी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :—

1 डाक्टर रमेश चन्द्र शर्मा,
अशोक नगर, आगरा।

2 डा० नाथन सिंह,
डा० चौधरीज नर्सिंग होम,
बड़ौत, मेरठ।

इन सदस्यों के संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी जो 8-8-90 के उपर्युक्त संकल्प में उल्लिखित हैं।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

मसीहुज्जमां, सचिव, रेलवे बोर्ड तथा
पदेन संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 14 सितम्बर, 1990

संकल्प

सं० 90/ओ० एण्ड एम०/23—अनुरक्षण प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्य करने के वास्ते, भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत, ग्वालियर में "उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केन्द्र" की स्थापना करने का विनिश्चय किया है। यह केन्द्र समवेत स्तर पर अनुरक्षण की योजना बनाने, जिसमें अनुरक्षण इकाइयों के बीच अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यभार का यौक्तिकरण भी शामिल हैं, में रेल मंत्रालय की सहायता करेगा। इस केन्द्र के कार्यों और उत्तरदायित्वों की प्रकृति ही ऐसी है कि यह सभी संबंधित विभागों/एजेंसियों के बीच सम्पर्क बनाए रखेगा और समन्वय स्थापित करेगा। यह केन्द्र ज्ञान-भण्डार के रूप में भी कार्य करेगा और प्रौद्योगिकी-विषयक जानकारी के अभाव को दूर करेगा तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित करेगा।

2 यह भी विनिश्चय किया गया है कि अनुसन्धान और विकास के उपर्युक्त कार्यों को ध्यान में रखते हुए, इस केन्द्र को रेल मंत्रालय के 'सम्बद्ध कार्यालय' के रूप में निर्दिष्ट किया जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

मसीहुज्जमां
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन
अपर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1990

संकल्प

सं० 1501/10/88-/टी०वी०(1)—भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित, इस मंत्रालय के दिनांक 5 जून, 1989 तथा 13 जुलाई, 1990 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में, देश में केबल टी०वी० नेटवर्कों तथा डिश एंटीना प्रणालियों की स्थापना के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए अंतर्विभागीय समिति के गठन के संदर्भ में, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त संकल्प के पैरा 4 की शर्तों के अनुसार समिति का कार्यकाल 21 फरवरी, 1991 तक बढ़ाया जाता है।

अन्य शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एम० दामोदरन, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th September 1990

No. 78-Pres/90.—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for gallantry to the undermentioned officers :—

Name and Rank of the Officer

Shri D. J. Kulkarni,
Chief Fire Officer,
Bombay Fire Brigade,
Byculla,
Bombay

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th July, 1989, a major fire occurred in Dalamal House, a multi-storeyed commercial building at Nariman Point, Bombay at 2304 hours. The fire triggered off from the 5th floor of the building engulfing the entire floor due to cyclonic weather at 70 K.M.H. at that time. Flames shoot out of the 5th floor leaping upward and the occupants were caught unaware and were entraped in dense smoke and intense heat filling up the stair case, the only means of escape. As the fire began to spread on upper floors situation assumed dangerous proportion. There was impending danger of series of explosions on the upper floors on account of explosive mixture being formed due to release of flamable gases arising out of the burning of carboneces, PVC materials etc. There was a great commotion among the occupants above the fifth floor, screaming and crying for help. Most of the trapped persons were virtually struggling for breathing on account of thick smoke.

Shri D. J. Kulkarni, the Chief Fire Officer of Bombay Fire Service, came to the spot immediately after the incident. Considering the frightening and pathetic situation of the occupants of the building, he immediately planned his fire fighting rescue operation and executed them with the able assistance of his officers and men. Under his order the turntable ladder was extended to its full height inspite of warning signal from the ladder, through curling and leaping flames from windows. Unstable and swinging turntable ladder would have got toppled down Shri Kulkarni any moment. However, the swing of the ladder was controlled by Shri Kulkarni by improvised method for the first time. Inspite of heavy oddas, Shri Kulkarni entered the 10th floor through the window of the 10th floor along with another officer and brought down the occupants to the place of safety from that great height of the 10th floor. The trapped persons were rescued alive at the great risk of life of Shri Kulkarni and his officers and men against heavy odds. During the course of 3½ hours operation when water jet were not effectively advanced on technical ground Shri Kulkarni donning breathing apparatus and protective clothing entered the fire affected floor along with his officers and men and the fire was successfully fought and thereby it reduced the loss to property. This achievement of delicate rescue and fire fighting with devotion, dedication and exemplary courage earned appreciation from the public and the Govt.

In this incident, Shri D. J. Kulkarni established an exemplary quality and displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of the President's Fire Service Medal for gallantry and consequently carries with it the monetary allowance admissible under Rule 5(a) with effect from the 24th July, 1989.

No. 79-Pres/90.—The President is pleased to award Fire Service Medal for gallantry to the undermentioned officers :—

Names and Rank of the Officers

Shri A. D. Jhandwal,
Divisional Officer,
Bombay Fire Brigade,
Fire Brigade Headquarter,
Byculla, Bombay.

Shri Sharad Pandurang Dalvi,
Assistant Divional Officer,
Bombay Fire Brigade,
Fire Brigade Headquarter,
Byculla, Bombay.

Shri Ramchandra Dagdu Bhosle,
Driver Operator,
Bombay Fire Brigade,
Fire Brigade Headquarter,
Byculla, Bombay.

Shri Vidhyadhar Manohar Manjrekar,
Fireman,
Bombay Fire Brigade,
Fire Brigade Headquarters,
Byculla, Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 24th July, 1989, a major fire occurred in Dalamal House, a multi-storeyed commercial building at Nariman Point, Bombay at 2304 hours. The fire triggered off from the 5th floor of the building engulfing the entire floor due to cyclonic weather at 70 K.M.H. at that time. Flames shoot out of the 5th floor leaping upward and the occupants were caught unaware and were entraped in dense smoke and intense heat filling up the stair case, the only means of escape. As the fire began to spread on upper floors situation assumed dangerous proportion. There was impending danger of series of explosions on the upper floors on account of explosive mixture being formed due to release of flamable gases arising out of the burning of carboneces, PVC materials etc. There was a great commotion among the occupants above the fifth floor, screaming and crying for help. Most of the trapped persons were virtually struggling for breathing on account of thick smoke.

Under the leadership, Command and able guidance of Shri D. J. Kulkarni, Chief Fire Officer, Bombay Fire Brigade, all the above mentioned officers exhibited exemplary courage in successfully fighting the fire and in rescuing the trapped persons.

When the fire had begun to spread on upper floors from the 5th floor through the vertical shaft, attacking seat of the fire with water jets, was one of the first important actions to be initiated. Shri Jhandwal, Divisional Fire Officer, knowing the fire fighting capabilities of Shri Vidhyadhar Manohar Manjrekar, Fireman, took along with him and donned in protective clothing and breathing apparatus, daringly entered the 5th floor through stair case against intense heat, leaping flames and dense smoke. Shri Jhandwal with the assistance Shri Manjrekar directed water jets on the burning flames of the 5th Floor and the burning interned was successfully cooled down after 3½ hours of grueling attack with water jets by Shri Jhandwal and Shri Manjrekar and as a result fire could not spread to other floors and thereby it reduced the loss of property. In the process of fire fighting both Shri Jhandwal and Shri Manjrekar demonstrated rare grit and determination.

Shri Sharad Pandurang Dalvi, Assistant Divisional Officer, who arrived on turn table ladder (D.L. 50) with his crew at the scene of incident, noticed the pathetic situation of the occupants of the 10th floor, who were desparately waving and screaming for help. On receiving orders from the Chief Fire Officer, for carrying out rescue operations of trapped persons, Shri Dalvi positioned the turn table ladder on an uneven ground surface, went on the 10th floor along with the Chief Fire Officer, and carried out the rescue operation which was very delicate and had to be carried out with utmost care as slight unstable movement would have ended his life. In this operation Shri Ramchandra Dagdu Bhosle, Driver Operator of the turn table ladder carried out excellent work in accurately setting up and training the ladder in narrow space and in taking prompt decision to operate the cage manually when it

had stuck on 9th floor and this resulted in saving not only the lives of the trapped persons but also in helping and assisting the Chief Fire Officer and the Assistant Divisional Officer to come out of the grave situation.

In this incident, Shri A. D. Jhandwal, Shri Sharad Pandurang Dalvi, Shri Ramchandra Dagdu Bhosle and Shri Vidhyadhar Manohar Manjrekar established exemplary quality and displayed gallantry, courage and devotion to duty.

This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of Fire Service Medal for gallantry and consequently carry them with the monetary allowance admissible under Rule 5(a) of the rules with effect from the 24th July, 1989.

The 12th September 1990

CORRIGENDUM

No. 80-Pres/90.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 38-Pres/90, dated 26th January, 1990 published in Part I Sectionn I of the Gazette of India dated the 12th May, 1990, relating to the award of 'Vayu Sena Medal' :—

At page 2 *Serial No.* 20

For 400627-H Master Warrant Officer Ramaswamy Govindarajan Flight Signaller

Read 400627-H Master Warrant Officer (Hon. Flight Lieutenant) Ramaswamy Govindarajan, Flight Signaller.

D. S. JAGOTRA, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 4th September 1990

No. 4/1-PU/90.—Shrimati Renuka Chowdhury and Shri Mohinder Singh Lather, members of Rajya Sabha, have been elected as Members of the Committee on Public Undertakings with effect from 31 August, 1990, for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Shri Virendra Verma ceased to be a member of the Rajya Sabha on his appointment as a Governor and Dr. G. Vijaya Mohan Reddy resigned from the Committee.

R. L. L. DUBEY, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the September 1990

CORRIGENDUM

No. 10/2/90-CS. II.—In this Department's Notification No. 10/2/90-CS. II dated 30-6-1990, following words may be inserted in the Seventh line of Part A of Schedule to the Rules, between the words "its" and "Culture".

"neighbouring countries especially pertaining to History.—"

KARTAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 12th September 1990

No. 27, 11/90 CL. II.—In supersession of this Department Notification No. 27/26/82-CL. II dated 21-10-82 and in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri S. S. Seth, Joint Director, Inspection in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209A.

No. 27/11/90-CL. II.—In supersession of this Department Notification No. 27/12/84-CL. II dated 2-4-84 and in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri R. K. Arora, Joint Director, Inspection in the Department of Company Affairs for the purpose of said section 209A.

No. 27/11/90-CL. II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Samir Biswas, Joint Director, Inspection in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209A.

D. K. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 13th August 1990

RESOLUTION

No. 1231/89/Desk CH-7.—In terms of Rule 5 of the constitution of the Lalit Kala Akademi, New Delhi, Shri Ram Nivas Mirdha is appointed as the Chairman of the Lalit Kala Akademi for a term of five years from the date on which he assumes charge.

ORDER

ORDERED also that the Resolution be published in the to the Secretary, Lalit Kala Akademi, Rabindra Bhavan, New Delhi-110001

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ASHOK KOSHY, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 6th September 1990

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/90/38/1.—In continuation to the Ministry of Railways (Railway Board's) Resolution of even no. dated 8-8-90 the following are nominated as non-official members of Railway Hindi Salahakar Samiti constituted under the Ministry of Railways :-

1. Dr. Ramesh Chander Sharma,
   Ashok Nagar, Agra.
2. Dr. Nathan Singh,
   Dr. Choudhary's Nursing Home,
   Baraut, Meerut.

The Terms and conditions concerning these members will be the same as mentioned in the above Resolution dt. 8-8-90.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectts. and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be Published in the Gazette of India for general information.

MASIHUZZAMAN, Secy.
Railway Board
& ex-officio Jt. Secy.

New Delhi, the 14th September 1990

RESOLUTION

No. 90/O&M/23.—The Government of India have decided to set up "The Centre for Advanced Maintenance Technology" at Gwalior, under the administrative control of Ministry of Railways, to deal with research & development work for improving maintenance technology. The Centre will assist the Ministry of Railways in Maintenance Planning at the corporate level including rationalisation of the maintenance workload between maintenance units. By the very nature of its functions and responsibilities, the Centre will maintain liaison and coordination with all concerned Departments/Agencies. The Centre will also serve as knowledge bank and disseminate knowledge to bridge technology gaps and will also hold national and international seminars.

2. It has also been decided, that in view of the above research and development functions, the aforesaid Centre be designated as on Attached Office of the Ministry of Railways.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in Part-I, Section-1 of Gazette of India, for general information.

MASIHUZZAMAN, Secy.
Railway Board & Ex-Officio Addl. Secretary

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-1, the 6th September 1990

RESOLUTION

No. 1501/10/89-TV(I).—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated the 5th June, 1989 and 13th July, 1990 published in Gazette of India, Part I, Section I constituting an Inter-departmental Committee to study the various aspects of the establishment of Cable Television Networks and Dish Antenna system in the country, it is notified that in terms of para 4 of the said Resolution, the terms of the Committee has been extended up to February 21, 1991.

2 The terms and other conditions shall remain unchanged.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. DAMODARAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990